

13 ⁵/₂₀₂₄

इसलिए जमीन एवं वेशीका
संरक्षण उपरी हमारे कार्यालय का
इकाईका प्रयोग कर के जमीन
के निवेदन किया कि पदवी हम
हारा नामान्तरण खोलते समय जमी
संख्या 01 का एक हिस्सा 7/24 के
बजाय 14/24 नया जमीन संख्या 25
एक हिस्सा 1/24 के बजाय 2/24 को
का रिया गया है, जो कि लिपिकि मूल
है सुधार किया जाना सम्बन्धित
कहाते हुए 01 का धारा 136 के तहत प्रस्तुत
किया है।

धारा 136 के तहत गत सेरलमेंट
के मुकामले नवीन सेरलमेंट रिकार्ड में कोई
शुद्धि शक्य है तो उसे शुद्धि किए जाने के
प्रावधान है, जबकि प्रस्तुत प्रकार नामान्तरण
खोलते समय हिले गलत लिख दिए जाने से
शुद्धि वास्तव है, जो धारा 136 के तहत
प्राप्त नहीं है। अतः जमीन का प्रयोग कर
व्यतीत किया जा रहा है। फुलली का मूल शुद्ध
हो कर नमूदा से प्राप्त है।

(बीमू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपस्थित अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)